

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी—

श्री नरेश कुमार मालव  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

23/अपील/2017

20.01.2017

26.06.2018

बाबू आ0 खांजू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम बालापुра तहसील  
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 19.10.2016

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।  
रेस्पोजेन्ट की ओर से — परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 08 बिस्वा किस्म सिवायचक गै.मू.बर्डा वाके ग्राम अणदगंज तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पक्का मकान व बाउण्ड्री वॉल से बेदखली, पैनाल्टी 2000/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट गरीब कृषक है। जिसके पास आबादी भूमि में कोई मकान नहीं है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से ही गत 60-70 वर्षों से पक्का मकान व बाउण्ड्री वॉल बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलान्ट उक्त भूमि को नियमन कराने का




अधिकार रखता है। अपीलान्त ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई, साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अपीलान्त को भौतिक रूप से मौके पर से बेदखल नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने सिवायचक व चरागाह भूमि पर 1970 से पूर्व के कब्जों को नियमन करने के आदेश जारी किये हुये हैं तथा राज्य सरकार ने परिपत्र क्र. 9(6)/2000/दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूची में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक व अन्य गैरमूमकीन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरो के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश किये गये थे जो अब राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया है अर्थात् 01.01.2000 के पूर्व की अतिक्रमण की भूमि को नियमन करवाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त उक्त अतिक्रमित भूमि को नियमन करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई स्वतंत्र साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये हैं केवल पटवारी के बयानों के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को पश्चातवर्ती साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अतिक्रमित भूमि जो अपीलान्त के कब्जे में है नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय सिवायचक गै.मू.बर्डा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि को नियमन करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्त द्वारा पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय व अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिससे अपीलान्त का पुराना अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक गै.मू.बर्डा भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि अपीलान्त का अतिक्रमित भूमि

पर वर्षों पुराना कब्जा काश्त होने से नियमन का अधिकार रखता है। अपीलान्ट को विवादित भूमि नियमन की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का पुराना कब्जा काश्त होने बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रस्तुत किये है। जिससे अपीलान्ट का पुराना कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्धीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर पक्का मकान व बाउण्ड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
26/6/18  
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)